न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 114/2018

1 सत्यवीर पुत्र श्री शेराराम जाति जाट उम्र 45 साल निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 मानसिंह पुत्र श्री शेराराम जाति जाट उम्र 50 साल निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3 रिछपाल पुत्र भोलाराम जाति जाट उम्र 75 साल निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। मृतक
3/1 जयसिंह पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3/2 जयप्रकाश पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3/3 सुमन पुत्री रिछपाल जाति जाट निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3/4 सुनिता पुत्री रिछपाल उम्र 43 साल जाति जाट निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3/5 बुलकेश पुत्री छिपाल उम्र 40 साल जाति जाट निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सरदाराराम उम्र 77 साल पुत्र धोलूराम जाति जाट निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज. मृतक
1/1 पतासी पत्नी सरदाराराम उम्र 70 साल जाति जाट निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1/2 मनी देवी पुत्री सरदाराराम पत्नी श्रीचन्द निवासी घासी का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.

1/3 चन्द्रकला पुत्री सरदाराराम पत्नी अमरसिंह निवासी घासी का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

1/4 सज्जनसिंह पुत्र स्व. सरदाराराम उम्र 48 साल जाति जाट निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

1/5 रामनारायण पुत्र स्व. सरदाराराम उम्र 45 साल जाति जाट निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

2 ताराचन्द उम्र 65 साल पुत्री भोलूराम जाति जाट निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

3 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मु.नं. 18/2017 मुकदमा उनवानी सरदाराराम बनाम राज. सरकार वगै. वाद घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति :

1. श्री गोरधन सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र फोगाट, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.12.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 18/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी सरदाराराम ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक दावा दता उर्फ दाताराम की जमीन के संबंध में दिनांक 02.02.2017 को पेश किया, जिसके प्रतिवादी राज. सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा व वादी का भाई ताराचन्द था, उक्त मुकदमें राज. सरकार के विरूद्व दिनांक 10.02.2017 को एकतरफा था, उक्त मुकदमें राज. सरकार के विरूद्व दिनांक 10.02.2017 को एकतरफा कार्यवाही की गई व ताराचन्द द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया। तत्पश्चात दिनांक 11.02.2017 को वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ व बिना मुख्य परिक्षण हुए उसी दिन उक्त दावा डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित जमीन खसरा नम्बर 8 रकबा 0.72 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 69 रकबा 0.81 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर दता उर्फ दाताराम की खातेदारी की जमीन थी, दता उर्फ दाताराम अपने जीवनकाल में अपीलान्ट नम्बर एक व दो के पिता शेराराम व रिछपाल के साथ रहता था जो उसकी सेवा करते थे, जिनकी सेवा से खुश होकर दता उर्फ दाताराम ने अपनी समस्त जमीन व सम्पति का एक दान पत्र शेराराम व रिछपाल के हक में करवाया जो सब रजिस्ट्रार चिड़ावा द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है, इस प्रकार उक्त दान पत्र के हिसाब से दता उर्फ दाताराम की समस्त जमीन शेराराम व रिछपाल को प्राप्त हो गई थी, जिसके संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा षडयंत्र पूर्वक दावा प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री पारित करवाई गई है। दता उर्फ दाताराम द्वारा शेराराम व रिछपाल के हक में करवाया गया दान पत्र रजिस्टर्ड है जिसको आज तक निरस्त नहीं किया गया है ना ही किसी के द्वारा उक्त दान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पत्र को कही चैलेंज किया गया है लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा नाजायज रूप से जमीन को हड़पने के लिए दावा पेश किया जिसमें सिर्फ ताराचंद को प्रतिवादी बनाया गया, तथा ताराचंद द्वारा गलत रूप से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया है तथा गलत रूप से निर्णय व डिक्री पारित करवाई है जो निरस्त होने योग्य है। विवादित जमीन पर दता उर्फ दाताराम के जीवन काल से प्रार्थीगण का कब्जा है तथा वे काश्त करते है तथा आज भी प्रार्थीणग का कब्जा है। रेस्पोडेन्ट का विवादित जमीन पर कभी कब्जा नहीं रहा है। शेराराम, रिछपाल व रेस्पोडेन्ट सरदाराराम व ताराचंद आपस में सगे भाई है लेकिन सरदाराराम ने केवल ताराचंद को मुकदमें में प्रतिवादी बनाया है जबकि अन्य भाईयों को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे भी साबित होता है कि उसने जान बुझकर गलत तथ्य अंकित कर दावा पेश किया है तथा न्यायालय के समक्ष सही स्थिति उजागर नहीं की है तथा गलत रूप से छल व कपट करके निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। दाताराम की मृत्यु दिनांक 14.09.1985 को हुई है। दाताराम की जमीन में अपीलान्ट के अलावा अन्य किसी का हक व हिस्सा नहीं है लेकिन वादी व प्रतिवादी ने साज करके गलत रूप से गलत तथ्य अंकित कर दावा पेश कर जवाब दावा पेश कर दावा डिक्री करवाया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। वादी सरदाराराम के न्यायालय में कोई बयान नहीं हुए है ना ही उसका न्यायालय में मुख्य परिक्षण हुआ है तथा उसने अपने दावा को किसी भी प्रकार से साक्ष्य से साबित नहीं किया है लेकिन उसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा दावा डिक्री कर कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 इलिगत आर्बिट्रेरी व कानून के सिद्धान्तों के विपरित है तथा प्रार्थीगण को मुकदमें में कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है इसलिए निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन व अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 को निरस्त फरमायी जावे तथा विकल्प में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

यह भी निवेदन है कि मुकदमें में प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देने व न्यायालय में सही तथ्य रखने व सही न्याय निर्णय के लिए मुकदमा विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि दाताराम वल्द पीरूराम की खातेदारी की रही है। अपीलांट का विवादित भूमि में न तो कब्जा काश्त है न ही विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज रही है चूंकि अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दान पत्र के आधार पर खातेदारी दर्ज करवाने की कोई कार्यवाही आदिनांक तक नहीं की गई है। दानपत्र की वैद्यता के संदर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं इकबाली जवाब दावे के आधार पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 स्वीकार किये जाते है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपील की पत्रावली में प्रस्तुत पंजीकृत दानपत्र से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के खातेदार दत्तुराम पुत्र पीरूराम द्वारा दिनांक 05.11.1966 को अपीलांट के पिता शेराराम व भोलाराम के नाम दानपत्र निष्पादित किया गया है। विधि अनुसार दानग्रहिता के वारिसान को पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर, जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)